

प्रेस नोट

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री दिनेश कुमार पी० महोदय के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर श्री विवेक त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजेश सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.11.2020 को मु०अ०सं० 521/2020 धारा 302/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त जाहिद उर्फ पप्पू पुत्र स्व० साबिर पहलवान नि० 222 बाहर सैयर गेट थाना कोतवाली झाँसी मय घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी रिवाल्वर के गिरफ्तार कर लिया गया है।

➤ घटना का विवरण:-

दिनांक 03.11.2020 को दौरान भ्रमण रोकथाम जुर्रम जरायम व तलाश वाछित अपराधी के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि दिनांक 01.11.2020 को मर्डर करने वाला साबिर पहलवान का लडका झरना गेट के पास बैठा है जिसके पास वही रिवाल्वर है जिससे फायर किया था मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मौके पर जाकर बताये गये व्यक्ति को समय 11.00 बजे पकड लिया गया उसने अपना नाम जाहिद उर्फ पप्पू पुत्र स्व० साबिर पहलवान नि० 222 बाहर सैयर गेट थाना कोतवाली झाँसी उम्र करीब 46 वर्ष जिसके कब्जे से एक अदद रिवाल्वर लाइसेंसी 32 बोर नं० एनपीएफजी 08168 मय तीन अदद जिन्दा कारतूस सहित बरामद हुये रिवाल्वर का लाइसेंस तलब किया नहीं दिखा सका और बताया कि यह रिवाल्वर मेरे भाई कि पत्नी शबनम के नाम है। घटना वाले दिन गुस्से में अपनी रिवाल्वर के बजाये शबनम की रिवाल्वर उठाकर उससे फायर कर दिया था। अभियुक्त उपरोक्त को मु०अ०सं० 521/20 धारा 302/34 भादवि तथा शस्त्र लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन किये जाने पर अन्तर्गत धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया तथा शस्त्र लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन पर मु०अ०सं० 524/20 धारा 3/25/27/30 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है व लाइसेंस धारक श्रीमती शबनम पत्नी स्व० श्री साहिद कुरैशी नि० 222 बाहर सैयर गेट थाना कोतवाली झाँसी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। तथा अभियुक्त जाहिद उर्फ पप्पू उपरोक्त से अन्य सह अभियुक्तों के सम्बन्ध में गहनता से जानकारी की जा रही है।

➤ अपराधिक इतिहास अभि० जाहिद उर्फ पप्पू पुत्र स्व० साबिर पहलवान-

- 1- मु०अ०सं० 521/20 धारा 302/34 भादवि थाना कोतवाली झाँसी।
- 2- मु०अ०सं० 524/20 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली झाँसी।

➤ गिरफ्तारी का स्थान-

झरना गेट के पास चैकी क्षेत्र मिनर्वा दूरी करीब 1 कि०मी०

➤ बरामदगी का विवरण:-

हत्या में प्रयुक्त एक अदद लाइसेंसी रिवाल्वर 32 बोर नं० एनपीएफजी 08168

➤ **गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार अवस्थी थाना कोतवाली झांसी।
2. उ०नि० श्री सरोत्तम सिंह चौकी प्रभारी ओरछागेट थाना कोतवाली झांसी।
3. उ०नि० श्री पंकज कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी मिनर्वा थाना कोतवाली झांसी।
4. उ०नि० श्री संदीप कुमार वर्मा थाना कोतवाली झांसी।
5. का० 660 राकेश कुमार थाना कोतवाली झांसी।
6. का० 450 अभिनेश्वर तिवारी थाना कोतवाली झांसी।
7. का० 799 भगवान सिंह परिहार